

राज्य साख योजना 2009–2010

STATE CREDIT PLAN 2009-2010

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – जल संसाधन विभाग

स. क्र.	योजना	विवरण
1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए । Name of the scheme with Sub-Components, if any.	कृषकों के निजी नलकूप निर्माण योजना Farmers Private Tubewell Construction Scheme.
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme?	राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । State Government Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	जल संसाधन विभाग Water Resources Department.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	विद्युत/यांत्रिकी लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग/उप संभाग E/M Light Machinery Tubewell & Gate Division/Sub Division.
5.	योजना का उद्देश्य Objective of the Scheme	सुनिश्चित एवं कम समय में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना । To provide assured irrigation facilities within short time.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए । Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation.	यह योजना राज्य के दुर्ग ; राजनांदगांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । The Scheme is implemented in the Durg, Rajnandgaon, Bastar and Dantewada districts of the State.

7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.)</p>	<p>समस्त कृषक जो सिंचाई हेतु नलकूप लगाना चाहते है । All farmers of all classes who are interested to construct own Tube well for irrigation.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो । Eligibility criteria for the beneficiary, if any.</p>	<p>हितग्राही की 5 से 6 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं रु. 1000/- मार्जिन मनी की आवश्यकता । छोटे किसान आपस में मिल जुलकर भी सामूहिक रूप से नलकूप लगवा सकते है । The beneficiary those who are possessing 5 to 6 hectares of agriculture land and required margin money is Rs. 1000/-. A group of small farmers can also construct tubewell with their consent.</p>
9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है । Whether assistance is provided on an individual basis/ individual and group basis.</p>	<p>दोनों स्तर पर दी जा सकती है । नलकूप व्यक्तिगत हो तो व्यक्तिगत और समूह स्तर दी जाती है । Individual/Group basis.</p>
10.	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये । दर (प्रतिशत), न्यूनतम अधिकतम भारत सरकार का अंश दान राज्य सरकार का अंश दान Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution</p>	<p>प्रत्येक सफल नलकूप पर लागत 50 प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 25000/- है, अनुदान हितग्राही को दिया जाता है । Subsidy is provided to beneficiaries for each successful tubewell limited to maximum Rs 25000/-</p>

11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>हितग्राही द्वारा मार्जिन मनी रु पये 1000/- शासन को देय है ।</p> <p>Beneficiary has to pay Rs. 1000/- margin money to State Government.</p>
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p>कृषक को नलकूप सफल प्राप्त होते ही छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल को कनेक्शन हेतु सुरक्षा राशि की व्यवस्था करनी पड़ती है । विद्युतीकृत करने के पश्चात् खेत तक पानी पहुंचाने का प्रबंध भी कृषक को करना पड़ता है ।</p> <p>Cultivators have to arrange the Electric connection cost at his own cost and after electrification the distribution of water will have to be done by beneficiary .</p>
13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p>जी हां, बिंदु क्रमांक 8 के अनुसार ।</p> <p>Yes. As per item No 8.</p>
14.	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हां ।</p> <p>Yes</p>

15.	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>इस योजना के अंतर्गत यदि कोई नलकूप निर्धारित मापदण्ड (सफल नलकूप चट्टानी क्षेत्र में 150 ली. प्र. मी. /2000 गेलन प्रति घन्टा तथा रेतीले क्षेत्र में 300 ली. प्र. मि./4000 गेलन प्रति घन्टा) से कम जल मिलता है तो असफल माना जाता है जिस पर कृषक को केवल मार्जिन मनी रूपये 1000/- ही शासन को देना पड़ता है । शेष खनन व्यय शासन ही उठाता है।</p> <p>Yes, as per State Government Norms for successful tubewell in rocky formation is 150 litres per minute/ 2000 gallon per hours in alluvium zone. 300 litres per minute 4000 gallon per hour. Below this discharge the tubewell is considered as unsuccessful and farmer has to deposit 1000/- only to State Government. expenses is borne by the cultivator.</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो Additional details, if any</p>	<p>निरंक Nil.</p>